



# कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

87-राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स-0135-2745779

Email: yamuncircle@gmail.com

पत्रांक- 285 / 12-1, दिनांक- देहरादून, 27 अगस्त 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अपर यमुना वन प्रभाग  
बडकोट

**विषय :-** जनपद उत्तराकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No. - FP/UK/ROAD/21335/2016 )

**संदर्भ :-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक-05-03-2024 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक-26.07.2024 को प्रेषित प्रतिउत्तर।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि आपको ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से 07.03.2024 को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 07 बिन्दुओं में कमियां इंगित की गयी है। उक्त पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिनांक -26.07.2024 को प्रतिउत्तर के तौर पर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्र -4356/12-1, दिनांक-07.06.2024 अपलोड किया गया है, जो कि वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती का सम्बोधित है। इस पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्र में उत्तरकाशी वन प्रभाग से सम्बन्धित प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक स्थल के सम्बन्ध में ही आख्या/ सूचना का उल्लेख किया गया है।

उक्त से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा बिना किसी अवलोकन के ही उक्त पत्र पोर्टल में प्रतिउत्तर के रूप में अपलोड किया गया है। आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित कमियों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का निराकरण अध्यावधि तक नहीं हो पाया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी 7 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(कहकशां नसीम, भा०व०से०)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून



सत्यमेव जयते

परिष्कारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /  
Regional Office, Dehradun

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef ddn@gov.in



पत्र सं०- 8 बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी.

दिनांक: / /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय:** जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बन्गांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/21335/2016).

**सन्दर्भ:** कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1432/-12-1 दिनांक 24-01-2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2021 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.
2. Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.
3. On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.
4. As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.
5. Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.
6. As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.

As per DSS report, out of 4 patches of the proposed C.A. area, two patches are falling within MDF. State Government is requested provide the remaining of the area of Rs. 1000 per hectare for the area falling in MDF.

तो क्रमांक  
85919 की  
प्रख्या तीन  
निराकरण

उपरोक्त में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रेज कार्यवाही की जा सकेगी।

शुभाष चंद्र शर्मा  
दिनांक 17-12-2024 11:31:13

(नीलिमा शाह, 8000000000)  
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक

